ग्राम पंचायत तांदी, विकास खण्ड गोहर,जिला मण्डी के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र०, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत तांदी, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र०, राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती अमरावती	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री मुन्नी लाल	01.04.2022 से 01.09.2022
2	श्री मोहन सिंह	01.09.2022 से 15.01.2024
3	श्री संतोष कुमार	15.01.2024 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम तांदी के लेखों की अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	₹ 0.41

2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	₹ 39.01
3	6(क)	गृह कर की वसूली न करना	₹ 0.99
4	6(ख)	विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा ना करवाना	₹ 0.08
5	8(क)	रॉयल्टी से संबन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को भुगतान	₹ 07.25
6	8(ग)	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करने बारे ।	₹ 0.05
7	09(ङ)	भुगतान बिलों/वाउचर को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे	₹ 03.52
8	09(च)	क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना	₹ 07.40

भाग- दो

2 **(क) वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत तांदी, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के लेखों का वर्तमान व प्रथम अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 12-11-2024 से 22-11-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2022-23	**10/2022**	**05/2022**
2023-24	**04/2023**	**02/2024**

(ख) अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत तांदी, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹ 6400/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-gptandi/19 दिनांक:-22.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत तांदी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्त्रौत व अन्य अनुदान:- ग्राम पंचायत तांदी, के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्व: स्त्रौत व अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2022-23	2162286.76	3636232	5798518.76	2325059	3473459.76
2023-24	3473459.76	1840262	5313721.76	3031964	2281757.76

Bank accounts detail of Gram Panchayat tandi :-

Bank name	**Account no.**	**Name of head**	**Closing balance as on 31.03.2024**
H.P state cooperative bank Gohar	31010105006	Nidhi & 5th state & other head	1560671
H.P state cooperative bank pandoh	32010113336	Planning Head	618580.50
H.P state cooperative bank pandoh	32010113334	13 fc	42733
H.P state cooperative bank pandoh	32010113340	SBM	1439

H.P state cooperative bank pandoh	32010113330	BIODIVERSITY	2169
H.P state cooperative bank pandoh	32010113333	FFC	12226.66
H.P state cooperative bank pandoh	32010113331	AAY	3917.10
		Total	2241736.26

बैंक समाधान विवरणी :-	
स्व स्त्रोत व अनुदान :-	
दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	**2281757.76**
दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष	2241736.26
अन्तर की राशि	**40021.50**

(ii) 15वां वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत तांदी, के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की 15वां वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2022-23	1355150	1098666	2453816	910334	1543482
2023-24	1543482	239386	1782868	163498	1619370

Bank Reconcilation as on 31 03-2024			
Balance as per cash book	1619370		
Add:-total intt of ₹ 88178 taken in pass book as on dated 01.04.2022 of ₹17769, dated 30.09.2022 of ₹ 16845,dated 01.04.2022 of ₹17657, dated 30.06.2023 of ₹11541,dated 01.10.2023 of ₹ 12043,dated 31.12.2023 of ₹12323 but not taken in cash book	88178		1707548

Balance as per Pass book A/C No. 32010120732			**1707548**
Net Difference			**0**

(iii) मनरेगा

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	0	6400358	0	6400358	6400358	0
2023-24	0	9404746	0	9404746	9404746	0

4.1. रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹ 0.41 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹ 40021.50** की राशि का अन्तर पाया गया । अतः मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी । प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी । इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है । इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई । इस बारे

उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस–किस कार्य पर कितना–कितना व्यय हुआ है ,तथा इन कार्यों को पूरा किया जा चूका है अथवा नहीं | उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-gptandi/04 दिनांक-12.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तांदी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपी/01 दिनांक 22.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। अत: अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

05. (क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत तांदी के लेखों की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था। अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹ 39.01 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत तांदी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.24 तक अनुदान ₹ 39,01,127,76 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(i),4(ii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत तांदी द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2024** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. **(क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹ 0.98 लाख की वसूली न करना**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत तांदी के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (ग)** अनुसार **₹ 98420** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है की पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करवाना राशि ₹0.08 लाख

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 (हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम ,2016) के बिंदु 3 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण फीस, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नकद द्वारा या मनीआर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और ऐसी फीस की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी करेगा । सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा पत्रसं.PCH-HA(1)8/2013-marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.2016 द्वारा समस्त जिला पंचायत अधिकारीयों को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के उक्त आदेशों की अनुपलना हेतु दिशानिर्देश जारी किये गए थे।

ग्राम पंचायत तांदी, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जांच एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सुचना के अनुसार ग्राम पंचायत को वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान रूपए 7600/- विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त हुए। जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. संख्या	वर्ष	प्राप्त शुल्क (₹)
1.	2022-23	5400
2.	2023-24	2200
	कुल जोड़	7600

उक्त धनराशि को पंचायत द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना चाहिए था परन्तु उक्त राशि लेखा परीक्षा अवधि (03/2024) तक पंचायत बैंक खाते में जमा थी तथा राशि को सम्बंधित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था। जो की उपरोक्त नियमो की स्पष्ट अवहेलना थी। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./ 2024/GPtandi/08 दिनांक:-13.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तांदी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या जीपी/01 दिनांक 22.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि

विवाह पंजीकरण की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) विवाह रजिस्ट्रेशन फीस ₹ 0.01 लाख की वसूली न करना

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 200 प्रति रजिस्ट्रेशन तथा विलम्ब के लिए 400 अर्थात दोगुनी दर से रजिस्ट्रेशन फीस प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत तांदी द्वारा अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के दौरान विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में ₹ 800 की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या	रसीद संख्या	आवेदन कर्ता का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	भुगतान योग्य राशि (₹)	प्राप्त राशि (₹)	अन्तर की राशि(₹)
1	49	693273	नरेंद्र कुमार सुपुत्र श्री मोहन लाल	01.03.2022	05.04.2022	400	200	200
2	55	693295	जोगिंदर सिंह सुपुत्र श्री दौलत राम	10.03.2023	16.04.2023	400	200	200
3	50	प्रस्तुत नही की गयी	नवीन कुमार सुपुत्र श्री छत्तर सिंह	27.05.22	13.06.22	200	शून्य	200
4	50	प्रस्तुत नही की गयी	गिरधारी लाल सुपुत्र श्री रामेश्वर	05.07.22	28.07.22	200	शून्य	200
कुल योग								**800**

सचिव, ग्राम पंचायत तांदी को अंकेक्षण अधियाचना संख्याःडी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024/GPtandi-07 दिनांकः-13.11.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या जीपी/01 दिनांक 22.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि जिन आवेदनकर्ताओं से कम शुल्क लिया गया था उनसे वसूली करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नही दोहराया नही जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

7. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अंतगर्त विभिन्न अप्लिकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है । ग्राम पंचायत तांदी, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल फ़र्निचर हीटर व पंखे ही दर्ज की गयी थी तथा उनमें भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नहीं थे । इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए केवल 28 कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था । पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतगर्त दी गई अप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है की पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा । पंचायत द्वारा उपरोक्त अप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए

निर्देशों का उलंघन था जो की गंभीर अनियमितता है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024/gptandi/10 दिनांक-14.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तांदी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपी/01 दिनांक 22.11.2024 द्वारा में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशानिर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा।

8. (क) रॉयल्टी से संबन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को ₹ 07.25 लाख का भुगतान

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'एक्स'या 'डबल्यू' प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे **रॉयल्टी** का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा,परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन-(आर.डी.एवं.पी.आर)-डी.बी.जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30,दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म "एक्स"या "डबल्यू" प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा। अंकेक्षण के दौरान व्यय/वाउचर के चयनित माह 05/22 व 02/24 पाया गया कि ग्राम तांदी द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत,बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांज़िट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹ 724624 का अनियमित भुगतान किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल व वाउचर संख्या	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)	मात्रा
	15th FC				
1	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	131/05.06.2022	रेत	18400	8.00

2	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	131/05.06.2022	बजरी	4800	2.00
	MANREGA				
3	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	120/05.07.2022	बजरी	31200	13.00
4	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	120/05.07.2022	रेत	21984	9.16
5	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	121/05.07.2022	बजरी	55200	23.00
6	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	121/05.07.2022	रेत	45984	19.16
7	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	118/05.07.2022	बजरी	50400	21.00
8	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	118/05.07.2022	रेत	45984	19.16
9	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	117/05.07.2022	बजरी	31728	13.22
10	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	117/05.07.2022	रेत	31704	13.21

11	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	122/05.07.2022	बजरी	31728	13.22
12	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	122/05.07.2022	रेत	31704	13.21
13	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	128/10.07.2022	बजरी	48000	20.00
14	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	128/10.07.2022	रेत	23376	9.74
15	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	127/10.07.2022	बजरी	23040	9.60
16	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	127/10.07.2022	रेत	12600	5.25
17	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	129/10.07.2022	बजरी	64800	27.00
18	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	129/10.07.2022	रेत	30000	12.50
19	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	119/05.07.2022	बजरी	72000	30.00
20	दलीप सिंह ठाकुर गाँव	119/05.07.2022	रेत	49992	20.83

	हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर				
				724624	

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या :- डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024/gptandi/11 दिनांक-18.11.2024 का प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण स्वीकार्य नहीं है । अतः उक्त भुगतान को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख). स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.01 लाख की वसूली न करना:-

सचिव ग्राम पंचायत तांदी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 390 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्राबधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण **निम्न प्रकार से है :-**

क्र0 सं0	**आपूर्तिकर्ता**	**बिल संख्या / दिनांक**	**वाउचर संख्या**	**मद का नाम**	**भुगतान राशि (excluded gst amount) (₹)**	**कटौती की दर**	**राशि (₹)**
सामान्य निधि							
1	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	113/01.05.2022	xvfc/2022-23/p/5 दिनांक 22.06.22	जेसीबी कटिंग	39000	1.00%	390
							390

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024/gptandi/13 दिनांक-19.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तांदी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या जीपी/01 दिनांक 22.11.2024 द्वारा सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए ।

(ग) संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 की कटौती न करने के कारण ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश जी0 एस0 टी0 अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि0प्र0 आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part-(278/25)-2950 दिनांक 28-09-2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति /फ़र्म /संस्था /स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (person/HUF/Firm/Local authority /govt. deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति ,फ़र्म को सेवाएँ तथा वस्तुएँ प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1 %सी0जी0एस0टी0 +1% एस0जी0एस0टी0 –अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2%आई0जी0 एस0 टी0 –अंतरराजीय आपूर्ति)की दर से जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0की कटौती संबन्धित व्यक्ति/फ़र्म/संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबन्धित विभाग में जमा करवानी अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत तांदी द्वारा निम्नविवरणानुसार संविदाकार/आपूर्तिकर्ता से भुगतान बिलों पर उपरोक्त अधिनियम के अनुसार स्त्रोत पर जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 की कटौती नहीं की गयी थी जिसका विवरण निम्नानुसार है :

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	वाउचर संख्या / दिनांक	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	कार्य का नाम	शीर्ष	भुगतान राशि (₹)	कटौती की दर	राशि (₹)
1	jag trading co. general & government supplier near tail control gate sundernagar	xvfc/2022-23/p/3 dated 04.06.2022	393/25.02.2022	11 litr plastic dustbin with cap	dustbin alloted to each wards	15th fc	259320	2.00%	**5186**
							259320		**5186**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/ एस.ए.डी./2024/gptandi/12 दिनांक-19.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तांदी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपी/01 दिनांक 22.11.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि जीएसटी टीडीएस के रूप में कटौती न करने के कारण ठेकेदार को किए गए अधिक भुगतान की राशि को वसूल करके संबधित सरकारी विभाग में जमा करवा दिया जाएगा तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9. (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹ 0.15 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष. 2022-23 व 2023-24 में ₹ 14720 की निर्माण से समाबंधित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या	वाउचर संख्या	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	311/27.04.2022	10	सामान्य निधि	बीबीएन ट्रेडिंग को. पंडोह जिला मण्डी	पेंट & ब्रश	6520
2	001/22.04.2022	001/22.04.2022	सामान्य निधि	हेम राज इलैक्ट्रिकल & एलेक्ट्रोनिक शॉप पंडोह	वाइर सॉकेट & बोर्ड	8200
	कुल					**14720**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024/gptandi/14 दिनांक-20.11.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत तांदी के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर अधियाचना संख्या जीपी/01 दिनांक 22.11.2024 द्वारा सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा। उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है की वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 व 2023-24 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित न करना व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नगद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह, यथास्थिति ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही करता।

ग्राम पंचायत तांदी, विकास खण्ड गोहर जिला मण्डी (हि०प्र०) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पंचायत द्वारा किये गए भुगतानों से सम्बंधित वाउचरो/ बिलो को ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही किया गया था। इसके अतिरिक्त मस्ट्रोल के तहत की गई अदायगी को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा भी अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। नियमानुसार अदायगी आदेश धारित न करने तथा मस्ट्रोलों को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा अधिप्रमाणित नहीं करने के अभाव में किये गए भुगतान अनियमित थे तथा इनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा यह उपरोक्त नियमों के विरूद्ध था। अतः संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी नियमानुसार धारित न करना और मस्ट्रोलों को अधिप्रमाणित नहीं करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम के नियमो की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त

प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना:-संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024/gptandi/9 दिनांक-14.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तांदी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपी/01 दिनांक 22.11.2024 द्वारा सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित नहीं किए गए थे व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं किया गया था । जिसे अब आपके दिशा निर्देशों के तहत भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश को अंकित करके व मस्ट्रोलों की भुगतान राशि को अधिप्रमाणित करके अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा ।

(ग) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना :-

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है । प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है । पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा । ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा । अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्वन मनरेगा के तहत उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा । अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत तांदी, विकास खण्ड गोहर जिला मण्डी (हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया की ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे । उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजगार दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजगार माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कार्य दिवस	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
2022-23	350	105	245	615	384	384	20473	29	45900	25427
2023-24	560	275	285	688	519	519	38393	160	77985	35592

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है की ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमे से केवल आंशिक कार्य ही पुरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है की मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित/प्रदान नहीं किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ की पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वन के प्रति गंभीर नहीं थे जो की नियमो की अवहेलना ही नहीं बल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./ 2024/GPtandi/15 दिनांक:-20.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तांदी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या जीपी/01 दिनांक 22.11.2024 द्वारा सूचित किया गया की ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जॉब कार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य क्रियान्वित किये जाएँगे। तथा भविष्य में जोबकार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

(घ) निर्माण कार्यों से संबन्धित माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे:-

ग्राम पंचायत तांदी के अवधि 01-04-22 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण के दौरान चयनित माहों 05/22 व 02/24 के व्यय वाउचरो की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों से चयनित माह में हुए निर्माण कार्यों हेतु भुगतान किया गया था। जिसका मूल्यांकन माप पुस्तिका में किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में निम्न कार्यों से संबन्धित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई :-

क्र. संख्या	शीर्ष	मुस्ट्रोल संख्या	माह	कार्य का नाम	कुल राशि (₹)
1	SDP	18008	30.11.2023	C/O Paver path vill ropadi malhad	68269
2	SDP	18,015	08.12.2023	c/o soundaryakaran b/wall mata baglamukhi temple	177840
					246109

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024/ GPtandi/16 दिनांक:-21.11.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत तांदी के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या जीपी/01 दिनांक 22.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों की माप पुस्तिकों जल्द ही अंकेक्षण से जांच हेतु प्रस्तुत करवा दिया जाएगा । अत : माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा उपरोक्त माप पुस्तिका को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जाए ।

(ङ) ₹ 03.52 लाख के भुगतान बिलों/वाउचर को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत तांदी विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी (हि० प्र ०) की अवधि 1.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹305376 के भुगतान बिलों/वाउचर को संबन्धित नस्ति में संलग्न नहीं किया गया था और न ही अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	आपूर्तिकर्ता	बिल व वाउचर संख्या	निधि	मद का नाम	टिप्पणी	भुगतान राशि (₹)
1	हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइ	4	सामान्य निधि	सीमेंट बैग	बिल व वाउचर न दर्शाना	14500

2	हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइ	10039	मनरेगा	सीमेंट बैग	बिल व वाउचर न दर्शाना	16241
3	हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइ	10042	मनरेगा	सीमेंट बैग	बिल व वाउचर न दर्शाना	16241
4	हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइ	10044	मनरेगा	सीमेंट बैग	बिल व वाउचर न दर्शाना	16241
5	हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइ	275	मनरेगा	सीमेंट बैग	बिल व वाउचर न दर्शाना	72500
6	हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइ	276	मनरेगा	सीमेंट बैग	बिल व वाउचर न दर्शाना	38280
7	हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइ	277	मनरेगा	सीमेंट बैग	बिल व वाउचर न दर्शाना	29000
8	हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइ	280	मनरेगा	सीमेंट बैग	बिल व वाउचर न दर्शाना	21170
9	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	116/15.05. 2021	मनरेगा	sand/agg	बिल व वाउचर न दर्शाना	16784
10	हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइ	768/10.04. 2023	मनरेगा	सीमेंट बैग	बिल व वाउचर न दर्शाना	18678

11	हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइ	1481	मनरेगा	सीमेंट बैग	बिल व वाउचर न दर्शाना	45641
						305276

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./gptandi/17 दिनांक 21.11.2024 ग्राम पंचायत तांदी के सचिव के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपी/01 दिनांक 22.11.2024 में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं था। अतः भुगतान बिलों को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(च) क्रय की गई सामग्री ₹ 07.40 लाख का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी निम्न विवरणानुसार ₹ 739344 की क्रय की गई सामग्री/मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही प्रयोग किया गया था।

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	शीर्ष	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	मात्रा	भुगतान राशि (₹)
1	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	15वां वित्त आयोग	131/05.06.2022	रेत	8.00	18400
2	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार	15वां वित्त आयोग	131/05.06.2022	बजरी	2.00	4800

	तहसील सदर					
3	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	मनरेगा	120/05.07.2022	बजरी	13.00	31200
4	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	मनरेगा	120/05.07.2022	रेत	9.16	21984
5	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	मनरेगा	121/05.07.2022	बजरी	23.00	55200
6	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	मनरेगा	121/05.07.2022	रेत	19.16	45984
7	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	मनरेगा	118/05.07.2022	बजरी	21.00	50400

8	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	मनरेगा	118/05.07.2022	रेत	19.16	45984
9	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	मनरेगा	117/05.07.2022	बजरी	13.22	31728
10	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	मनरेगा	117/05.07.2022	रेत	13.21	31704
11	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	मनरेगा	122/05.07.2022	बजरी	13.22	31728
12	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	मनरेगा	122/05.07.2022	रेत	13.21	31704
13	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार	मनरेगा	128/10.07.2022	बजरी	20.00	48000

	तहसील सदर					
14	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	मनरेगा	128/10.07.2022	रेत	9.74	23376
15	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	मनरेगा	127/10.07.2022	बजरी	9.60	23040
16	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	मनरेगा	127/10.07.2022	रेत	5.25	12600
17	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	मनरेगा	129/10.07.2022	बजरी	27.00	64800
18	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	मनरेगा	129/10.07.2022	रेत	12.50	30000

19	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	मनरेगा	119/05.07.2022	बजरी	30.00	72000
20	दलीप सिंह ठाकुर गाँव हतौन डाकघर शिवधार तहसील सदर	मनरेगा	119/05.07.2022	रेत	20.83	49992
21	बीबीएन ट्रेडिंग को. पंडोह जिला मण्डी	सामान्य निधि	311/27.04.2022	पेंट & ब्रश		6520
22	हेम राज इलैक्ट्रिकल & एलेक्ट्रोनिक शॉप पंडोह	सामान्य निधि	001/22.04.2022	वाइर सॉकेट & बोर्ड		8200
						739344

वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024/gptandi/18 दिनांक 21.11.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत तांदी के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपी/01 दिनांक 22.11.2024 में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है की स्टॉक रजिस्टर का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख).रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर नियमानुसार न रखा जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत /जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप "4" के अनुसार बनाये गए स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत तांदी द्वारा रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया	--	103

	है।		
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	--	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
9	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
12	बिल रजिस्टर	13	48
13	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11. लघु आपति विवरणिका:-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

12. **निष्कर्ष:**-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक 04.02.2025
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं० –0177–2626670

04 FEB 2025

811-815 का०/प्र०

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(11) 29/2017 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी, हि०प्र०।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत तांदी विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी, हि०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक 04.02.2025
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं० –0177–2626670

का०/प्र०

पैरा संख्या- 4(1)
परिशिष्ठ -(क)

Financial position of own source & other grants in aid of Gram Panchyat Tandi					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	2162286.76	3636232	5798518.76	2325059	3473459.76
2023-24	3473459.76	1840262	5313721.76	3031964	2281757.76

सचिव
ग्राम पंचायत टांडी
वि.ख. गोहर जिला मण्डी (हि.प्र.)

पैरा संख्या- 4(ii)
परिशिष्ठ -(ख)

Financial position of 15th fc of Gram Panchyat Tandi					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	1355150	1098666	2453816	910334	1543482
2023-24	1543482	239386	1782868	163498	1619370
Bank Reconicilation as on 31 03-2024					
Balance as per cash book			1619370		
Add:-total init of ₹ 88178 taken in pass book as on dated 01.04.2022 of ₹17769,dated 30.09.2022 of ₹ 16845,dated 01.04.2022 of ₹ 17657,dated 30.06.2023 of ₹ 11541,dated 01.10.2023 of ₹ 12043,dated 31.12.2023 of ₹ 12323 but not taken in cash book			88178		1707548
Balance as per Pass book					1707548
Net Difference					0

सचिव
ग्राम पंचायत तान्दी
वि.ख. गोहर जिला मण्डी (हि.प्र.)

पैरा संख्या- 6(क)
परिशिष्ठ - (ग)

(31)

Detail of H.Tax :-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	पिछला शेष	गृह कर की दर	वर्ष के दौरान वसूली योग्य राशी	कुल वसूली योग्य राशी	वसूल की गयी राशी	बकाया गृह कर की राशी
2022-23	633	72900	20/-	12660	85560	00	85560
2023-24	643	85560	20/-	12860	98420	00	98420

सचिव
ग्राम पंचायत
वि.ख. गोहर जिला मण्डी (हि.प्र.)

32